# न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तुसारी बनाम रूपी D/O मनफूल जाटव

प्रकरण अन्तर्गत धारा [illegible]

प्रकरण संख्या :- RA/28/2018 निर्णय दिनांक :- 27/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुसारी की आ.ख.नं. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जमीन गैरमु. मरघट में से 0.01 रकबे पर श्री रूपी D/O मनफूल पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ........ कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18 ........ को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रूपी D/O मनफूल जाति जाटव निवासी तुसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ........ उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.नं. 454 रकबा 1.08 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमु. मरघट [illegible] है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 63 paise का 50 गुणा 32/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू.अ.निरी. ........ कठूमर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

द. के. र. [illegible] पृष्ठ 16 क्र. 10
वर्ष 2018-19 [illegible] 32/-
की कायमी की गई

(हस्ताक्षर) 11/3/19

[illegible]

प्रतिलिपि :- पृ. ह.